"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2009—आश्विन 21, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

फां. क्र. 6875/डी-2317/21-ब/छ.ग./09.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2575/डी-937/21-ब/छ. ग./2009 रायपुर, दिनांक 4-4-2009 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी के स्थान पर, उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लेखित जिले पर, कॉलम (3) में उल्लेखित अधिकारी को, विशेष न्यायाधीश पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

स. क्र.	विद्यमान पीठासीन अधिकारी का नाम	पदस्थ/नवपदस्थ न्यायिक अधिकारी	जिले का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती रानू दिवेकर, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	सत्र न्यायाधीश, रायगढ़	रायगढ़

Raipur, the 5th October 2009

NOTIFICATION

F. No. 6875/D-2317/XXI-B/C. G./09.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), and with the concurrence of the Hon'ble Chief Justicc of High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. 2575/D-937/XXI-B/C. G./09, Raipur Dated 4-4-2009, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification,—

For the Officer mentioned in Column (2) of the Schedule, the Officer mentioned in Column (3) shall be posted at the place mentioned in Column (4) of the said schedule, namely :—

Sl. No. (1)	Name of the existing Presiding Officer (2)	Newly posted Judicial Officer (3)	Name of the District (4)
1.	Smt. Ranoo Diwekar, Ist Additional District & Sessions Judge.	Sessions Judge, Raigarh	Raigarh

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.